

आदेश

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रधानाचार्य वर्ग 'क' को उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थानों का अतिरिक्त चार्ज व डी०डी०ओ० तत्काल प्रभाव से दी जाती है:-

क्र०	जिस संस्थान की आदान प्रदान शक्तियां दी जानी है।	जिस संस्थान के प्रधानाचार्य को आदान प्रदान शक्तियां प्रदान की जाती है।	रिमार्कश
1	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथीन।	श्री विनोद कुमार, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पलवल।	श्री विनोद कुमार, प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पलवल को अपने कार्य के अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथीन का अतिरिक्त चार्ज व डी०डी०ओ० दी जाती है, जब तक की वहाँ पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।
2.	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोसली।	श्री विरेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य, वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साल्हावास।	श्री विरेन्द्र सिंह प्रधानाचार्य वर्ग 'क' राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साल्हावास को अपने कार्य के अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोसली का अतिरिक्त चार्ज व डी०डी०ओ० दी जाती है, जब तक की वहाँ पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति नहीं हो जाती। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा।

दिनांक 8.12.2015

एस०के गोयल,

महानिदेशक,

औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।

पृ० क्र० टीई/९९/१५८/डीडीओ/ 1924

दिनांक: 11/12/2015

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती

है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)।
2. सहायक निदेशक प्रशिक्षण।
3. खजाना अधिकारी, रेवाडी व पलवल।
4. नोडल अधिकारी विभागीय बैवसाईट।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हथीन, कोसली, साल्हावास, व पलवल।



सहायक निदेशक (प्रशासन-II)
कृत: महानिदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण
विभाग, हरियाणा।